



मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 1325/19 / मा०अनु०/जेनसी/19 दिनांक : 21.1.19

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र

मै० अजन्ता कालोनाईजर्स लि० डायरेक्टर श्री उत्कर्ष जैन द्वारा पत्र दिनांक 25.09.2018 के माध्यम से बागपत रोड़, मेरठ पर स्थित वर्धमान ग्रीन्स कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र संख्या-151/09 का पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर परीक्षण व स्थल निरीक्षण सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें प्रभारी मानचित्र, जोनल अधिकारी जोन-सी व मुख्य नगर नियोजक, मुख्य अभियन्ता सदस्य हैं, के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, जो अवस्थापना सुविधाओं के आन्तरिक विकास कार्यो यथा-सड़क, क्लवर्ट, ड्रेन, जलापूर्ति, ओवर हैड टैंक, सीवर, मेनहॉल, पार्क एवं उद्यान, स्ट्रीट लाईट, विद्युत आपूर्ति, एस.टी.पी./ई.टी.पी., रेनवाटर हार्वेस्टिंग के दृष्टिगत सही पाया गया तथा उपाध्यक्ष महोदय द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु दिनांक 03.10.2018 को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतः उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क (2) के अनुसार कालोनी के आन्तरिक विकास कार्यो का पूर्णता प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के साथ निर्गत किया जाता है:-

1. विकासकर्ता द्वारा दिये गये शपथ पत्र के अनुसार प्राधिकरण द्वारा कालोनी के बागपत रोड़ पर नाले का निर्माण करने के उपरान्त ड्रेनेज लाईन को अपने व्यय पर संयोजन किया जायेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
2. कालोनी को पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने की तिथि से एक वर्ष अथवा कालोनी नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरित होने तक (जो भी समयावधि अधिक हो) कालोनी की सर्विसेज का रख-रखाव विकासकर्ता अथवा आर.डब्ल्यू.ए. को करना होगा।
3. विकासकर्ता द्वारा दिये गये शपथ पत्र के अनुसार तलपट मानचित्र में निहित भूमि के स्वामित्व आदि के सम्बन्ध में वाद-विवाद होने पर विकासकर्ता स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक :- पूर्णता मानचित्र की प्रति।

मुख्य नगर नियोजक,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ। 19/1/2019